न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 18 / 2020

अनवान : –

1. राजबाला पत्नी रामवीर जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थीया

बनाम्

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र हरिशचन्द्र जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र हरिशचन्द्र जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
3. सुशील कुमार पुत्र हरिशचन्द्र जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थी**

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांक:** 08/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 4 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 19 / 20 के प0न0 344 / 462 मु0न0 7 के किला न0 14 की 0.2530, 15 की 0.2530, 16 की 0.2530, 17 की 0.2530 प.न. 345 / 362 मु.न. 6 के किला न0 11 की 0.2530 हैक्टर, 12 / 1 की 0.0630 हैक्टर किला न० 19 की 0.2530 हैक्टर, 20 की 0.2530 हैक्टर, कुल तादादी 1.8340 हैक्टर भूमि सायलान सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि है।

रोही मौजा चक 4 के.एन.एन. तहसीलनोहर के खाता सं. 75 / 74 के प.न. 344 / 362 मु.न. 7 के किला न0 5 / 1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला किला नं. 5 / 2 की 0.2280 हैक्टर भूमि किला न० 6 की 0.2530 हैक्टर, 7 की 0.2530 हैक्टर, प.न. 345 / 361 मु.न. 3 के किला न0 22 की 0.2530 हैक्टर, 23 की 0.2530 हैक्टर, 24 की 0.2530 हैक्टर, प.न. 345 / 362 मु.न. 6 के किला न० 1 / 1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला किला नं. 1 / 2 की 0.0260 हैक्ट गै.मु. रास्ता किला नं. 1 / 3 की 0.2020 हैक्टर भूमि किला न0 2 / 1 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. खाला 2 / 2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता किला नं. 2 / 3 की 0.2020 हैक्टर किला नं0 3 / 1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला किला नं. 3 / 2 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. रास्ता किला नं. 3 / 3 की 0.2020 हैक्टर किला न0 4 / 1 की 0.0250 हैक्टर, गै.मु. खाला, 4 / 2 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. रास्ता 4 / 3 की 0.2020 हैक्टर, किला न0 10 की 0.2530 हैक्टर, कुल तादादी 2.7830 हैक्टर भूमि गैरसायलान सं. 1 ता 3 की खातेदारी भूमि है।

सायलान अपने खेत गांव फेफाना से फेफाना से चारणवासी के रास्ता से चलकर जो रास्ता नहर से आगे सीधा उतर की तरफ मलेका गांव जाता है तथा उक्त रास्ता से चलकर उक्त रास्ता से पश्चिम साईड से मुड़कर मुरब्बा नबर 6 तक आ जात है तथा उक्त मुरब्बा नम्बर 6 के किला न. 9.4.3.2. 1 तक आ जाते है तथा इस मुरब्बा नम्बर 6 के किला नं. ५.व 10 के पश्चित साईड से उत्तर से दक्षिण अपने किला नम्बर 11 के पहुंचे जाते है। तथा यह सायलान के खेत का सबसे सुविध शाजनक व नजदीकी रास्ता है तथा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता व नजदीकी रास्ता नही है। सायलान के खेत वाके रोही मौजा चक 4 के.एन.एन. तहसील नोहर के प.न. 345 / 362 मु.न. 6 के किला नं. 11 में पहुंचने के लिए गैरसायलान के खेत प.न. 345 / 362 मु.न. 6 के किला न० ५व 10 के पश्चिम साईड से उतर से दक्षिण सुविधाजनक व नजदीकी है मगर उक्त रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने से गैरसायलान सायलान को उक्त रास्ता से जाने के लिए रोकते है जिससे सायलान अपने खेत के उपयोग व उपभोग से वंचित होते है। इसलिए सायलान रास्ता जैसी अहम सुविधा के लिए न्यायहित में रास्ता स्वीकृत करवा पाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान के खेत वाके रोही मौजा चक 4 के.एन.एन. तहसील नोहर के प.न. 345 / 362 मु.न. 6 के किला न0 1 / 3 व 10 के पश्चिम साईड़ से उतर से दक्षिण 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश तहसीलदार राजस्व नोहर को फरमाया जावे।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार नोहर से रास्ता बाबात रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी स0 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की प्रार्थीया के खेत में पहले से रास्ता है लेकिन जबरिया हमारे खेत मे से रास्ता चाहते है सायला आज भी मौके पर मु0न0 344/362 किला न0 5, 6 में से आवागमन करती है तथा यह रास्ता मौके पर चालु है यह सायला के लिए नजदीक व सुविधाजनक है किला न0 1 में से पहले से रास्ता व खाला कटा हुआ है इसलिए दुसरा रास्ता नही दिया जा सकता है यदि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो हमारे खेत के दो टूकड़े हो जायेंगे अप्रार्थीगण की भूमि काफी ज्यादा उपजाउ है तथा सायला की भूमि बारानी व उबड़खाबड़ है इसलिए रास्ता के बदले दो भूमि गुनी भूमि के बिना हमारी भूमि की पूर्ति सम्भव नही है।

प्रार्थी का कथन है कि सायलान अपने खेत गांव फेफाना से फेफाना से चारणवासी के रास्ता से चलकर जो रास्ता नहर से आगे सीधा उतर की तरफ मलेका गांव जाता है तथा उक्त रास्ता से चलकर उक्त रास्ता से पश्चिम साईड से मुड़कर मुरब्बा नबर 6 तक आ जात है तथा उक्त मुरब्बा नम्बर 6 के किला न. 9.4.3.2. 1 तक आ जाते है तथा इस मुरब्बा नम्बर 6 के किला नं. ५.व 10 के पश्चित साईड से उत्तर से दक्षिण अपने किला नम्बर 11 के पहुंचे जाते है। तथा यह सायलान के खेत का सबसे सुविध शाजनक व नजदीकी रास्ता है तथा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता व नजदीकी रास्ता नही है। सायलान के खेत वाके रोही मौजा चक 4 के.एन. एन. तहसील नोहर के प.न. 345/362 मु.न. 6 के किला नं. 11 में पहुंचने के लिए गैरसायलान के खेत प.न. 345/362 मु.न. 6 के किला न० ५व 10 के पश्चिम साईड से उतर से दक्षिण सुविधाजनक व नजदीकी है मगर उक्त रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने से गैरसायलान सायलान को उक्त रास्ता से जाने के लिए रोकते है जिससे सायलान अपने खेत के उपयोग व उपभोग से वंचित होते है। तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर से प्रार्थी के कथनो की पुष्टि होती है।

प्रार्थी को उक्त रास्ता के अलावा अपनी खातेदारी में आवगामन हेतु अन्य कोई विकल्प नही है यही रास्ता सबसे नजदीक व सुविधाजनक है। तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट से प्रार्थीया की पूष्टी करती है अर्थात सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये यही रास्ता सबसे सुविधाजनक व निकटतम है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार स्वीकृत शुद्वा रास्ता से सायला की खातेदारी भूमि तक पहुचने का सबसे छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता प्रतीत होता है एवं प0न0 344/462 मु0न0 7 के किला न0 5, 6 प्रत्येक में 0.019 रास्ता पर सहमति है अत प0न0 344/462 मु0न0 7 के किला न0 5, 6 प्रत्येक में 0.019 रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट अनुसार दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 4 केएनएन के प0न0 344/462 मु0न0 7 के किला न0 5, 6 प्रत्येक में 0.019 रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता की भूमि के बदले सायला के नाम दर्ज भूमि में से कम की जाकर सायला की जो भूमि गैरसायलान के चिपती हुई है गैरसायलान के नाम दर्ज की जाती है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार अमल दरामद हो। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर